

फर्द अहकाम

सुप्रीम कोर्ट अधिकारी (अपेक्षित)

बनाम जानकी राव
150/2024

संख्या / वर्ष

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
11/02/24	<p>पत्रावली पेश हुई वकील जाधी व अजाधी वकील उपस्थित। जाधी वकील ने अपेक्ष 039 R4 के अन्वय हेतु पूर्व में 5 क्वार्टर प्लान किंग किन्डु आता नी पत्राव देना नहीं किया रिहापन दी गई कि अपेक्ष 039 R4 के अन्वय अन्वयक एच ए पेश कर पत्रावली दाखल करण हेतु दिनांक - 15/02/24 को पेश होना</p>	<p>सुप्रीम कोर्ट अधिकारी नया रावगढ़, जिला-जयपुर</p>
13/2/24	<p>पत्रावली पेश हुई वकील जाधी व अजाधी वकील उपस्थित। अजाधी द्वारा प्रस्तुत जाफना पत्र 039 R4 के अन्वय पत्रावली वकील ने पेश किया जाफना पत्र अजाधी वकील को दिनांक 13/2/24 को अन्वय पत्र पर उभय पक्षों की सहमति सुनी गई। जाधी/अजाधी शब्दों-3 ने अपनी दस्त में प्रस्तुत जाफना पत्र 039 R4 के अन्वय में अफिर तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि अजाधी/जाधी मांगीलाल ने अन्यायी प्रकरण किंग किंगी आधार व बुरे तथ्यों के आधार पर मुझ जाधी को हेरान पेशान करने हेतु पेश कर अन्यायी न्यायालय से दिनांक 13/2/24 को से</p>	

सुप्रीम कोर्ट अधिकारी
नया रावगढ़, जिला-जयपुर

आदेश प्राप्त कर लिया है
 मेंने रुका भूमि पर उद्योग लपाने
 हेतु फाइल लगा रखी है। जिसमें
 करीब 4 कांठ की राशि का
 लेन की फाइल लगा रखी है
 जिसका बाधी का पूरा ज्ञान है
 मेरे उद्योग में रोडा पडुयाने के
 अर्थ में उक्त प्रकरण पेअ
 किया है मेरी भूमि आंध्रप्रदेश
 प्रशासन भूमि है जिसमें किसी
 प्रकार का कोई दावा भी नहीं
 किया जा सकता है। संपादन
 भूमि का सुगत का अधिसूचना
 राज्य जमाना के ली है
 इतिहास प्रार्थना पत्र 039/24
 44 को लीक कर लारी
 से आदेश दिनांक 22/12/2014
 को रजिस्टर किया जाये

कृपण/बाधी वकील ने
 अपने जवाब में उक्त तथ्यों
 को दोहराते हुए अपनी बहस
 में कहा कि उक्त प्रार्थना
 पत्र किसी प्रकार से मेरे बल
 में है दिनांक 06/02/2013 के
 प्रशासन गांवे के सगं अधिसूचना
 की सम्पूर्ण कॉलोनी के अर्थ
 निष्पत्ती के रूप कावात के
 बाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया
 है तथा रिकार्ड में आंध्रप्रदेश भूमि
 दर्ज कार्ड से पूर्व 114 किसी
 की भूमि दर्ज की उली समय
 भागा है एवं उली अधिसूचना
 का है इसीलिए बाद जमाना
 कर्तव्य सुगत का अधिसूचना प्राप्त
 हो गयी है प्रकार का कोई दावा
 संभव नहीं है। जिसमें किसी
 प्रकार का दावा भी नहीं
 किया जाये

2.14

फर्द अहकाम

नय उपरकंड अधिकारी जयपुराहाड (अपभु)

बनाम मांगीलाल जातकी व रूप

संख्या / वर्ष : 150 / 2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा जाये उक्त तकासमा परमगृही काबूतन शुभ्य व अर्केष ही वादी ने पूर्व में हुए तकासमा को वादी के अधिकारों के विकरून कतरई बंझार प्रभाय शुभ्य व अर्केष शुभ्य घोषित कजात के लिए दाद प्रस्तुत किया है प्रतिवादी को दाद में जवाब देना चाहिए आइलियर उक्त अपेक्षा पत्र चलाने योग्य नहीं है प्राणि किजा जाये</p> <p>प्राणि/रुपणी वकील ने रिबल में कपनी दहल में फरदा कि पूर्व में पत्रकारों के मध्य राजीनामा से बंधवारा कम्प में हुआ था जिसकी कोई अपील नहीं हो सकती है इतलिये प्राण्ड 039/24 पर को स्वीकार कर ले अर्केष प्राणि किजा जाये</p> <p>वकील उभय पक्षों की मध्य सुनने व पजादली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है किवाहित भूमि का पूर्व तकासमा ही पुका है और किवाहित भूमि केवळ 251 वाक गाम रवराना का औद्योगिक परोजनार्थ का रूपान्तरण ही पुका है रूपान्तरण भूमि सुनने का अर्केषिकार राजपन प्राणालय को नहीं है इतलिये प्रस्तुत (अपु)</p>	

मांगीलाल बनाम जाफकी

मुक्र- 150/2021

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>प्राप्य पत्र 039124 की को स्वीकार किया जाता है तथा अन्तिम आर्षाई निषेधाज्ञा दिनांक 23/12/2021 को जातिरण किया जाता है</p> <p>पत्रावली फॉरमल युक्त होकर नमूदा में फास होना बाद में ही स्थानिक रूप से होना बाद में साथ दस्तावेज किया जावे</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p> <p style="text-align: right;">सफरुषुद्ध अधिकारी जयनारायणद. जिला-जयपुर</p>